

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :- 548

दिनांक :- 05/8/2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:- खूँटी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी
स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे० वन भूमि अपयोजन का
प्रस्ताव।

प्रसंग:- 1) वन विभागीय पत्रांक 133 दिनांक 16.01.2020
2) इस कार्यालय के पत्रांक 1385, दिनांक 29.11.2019 एवं पत्रांक 97, दिनांक
12.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र 1 द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या- (i) के क्रम में वन
संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के पत्रांक 889 दिनांक 07.07.2020 द्वारा उपायुक्त, राँची के पत्रांक
108(1)/रा०, दिनांक 19.06.2020 द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
(संबंधित बैठक की कार्यवाही सहित) प्राप्त है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई
हेतु भेजी जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 548

दिनांक 05/8/2020

प्रतिलिपि :- मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड, रूंगटा हाऊस चाईबासा को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।